.....Versus.....

Date	Order with initials of Proesiding Officer	Brief
	दि 9/1/26 Addl PP उपस्थित अभियुक्त का इलाज चायरा अस्पताल किया जाता है Addl PP की पैरोलोपी रिपोर्ट प्रदर्शित नहीं होने के कारण मेडिकल परिषद को पुनः तलब करने का आदेश। 311 CrPC का आवेदन पत्र पेश किया गया जिसमें जवाब नहीं देना चाहते अभियोजन को प्रतिपरीक्षण का अवसर दिया। प्रकरण में पैरोलोपी रिपोर्ट महत्वपूर्ण साक्ष्य है जो प्रदर्शित नहीं हुई है अंतिम रोग रिपोर्ट के आधार पर लिखाना PMR के उल्लेखित है अतः गवाह PW-11 मेडिकल परिषद द्वारा रिपोर्ट पुनः तलब किया जाना चाहिए है। प्रा-गण स्वीकार कर गवाह डॉक्टर मेडिकल बोर्ड का मौखिक साक्ष्य कराने बाबत साक्ष्य कराया है। अगली तारीख 20/1/26 को पेश हो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-02 किशनगढ़ (अजमेर)	

Sd/-
(illegible)
9/1/26